

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़**

-:: आदेश ::-

क्रमांक :- स्था./2021/145

दिनांक :- 14.07.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2021/140 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा जारी लिंक अधिकारी के आदेश में क्रम संख्या 37 व 38 सहवन से प्रिन्ट होने से रहने के कारण अब उक्त आदेश के स्थान पर क्रम संख्या 37 व 38 को जोड़ते हुए नया आदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में संगरिया मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा मुख्यालय पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं रावतसर मुख्यालय पर अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का नवसृजन होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा लिंक अधिकारीगण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है :-

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी जो अवकाश/मुख्यालय से बाहर है अथवा जिसका पद रिक्त है, के न्यायालय का नाम	लिंक न्यायालय का नाम	विशेष टिप्पणी
01	DJ हनुमानगढ़	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
02	ADJ No.1 हनुमानगढ़	ADJ No.2 हनुमानगढ़	---
03	ADJ No.2 हनुमानगढ़	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
04	Spl. Judge, SC/ST Cases Court, हनुमानगढ़	ADJ No.1 हनुमानगढ़	
05	क्र.सं. 1 व 3 की अनुपस्थिति में	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
06	क्र.सं. 1 व 4 की अनुपस्थिति में	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
07	क्र.सं. 1 से 3 की अनुपस्थिति में	Spl.Judge SC/ST हनुमानगढ़	---
08	क्र.सं. 1, 2 व 4 की अनुपस्थिति में	ADJ No.2 हनुमानगढ़	---
09	क्र.सं. 1, 3 व 4 की अनुपस्थिति में	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
10	क्र.सं. 2 से 4 की अनुपस्थिति में	DJ हनुमानगढ़	---
11	क्र.सं. 1 से 4 की अनुपस्थिति में	ADJ संगरिया	रूटीन कार्य CJM हनुमानगढ़ करेंगे
12	ADJ संगरिया	ADJ No.1 हनुमानगढ़	रूटीन कार्य ACJM संगरिया करेंगे
13	क्र.सं. 1 से 4 व 12 की अनुपस्थिति में	ADJ No.1 नोहर	---
14	ADJ No.1 नोहर	ADJ No.2 नोहर	---
15	ADJ No.2 नोहर	ADJ No.1 नोहर	---
16	क्र.सं. 14 व 15 की अनुपस्थिति में	ADJ भादरा	रूटीन कार्य ACJM नोहर करेंगे
17	ADJ भादरा	ADJ No.1 नोहर	रूटीन कार्य ACJM भादरा करेंगे
18	क्र.सं. 14, 15 व 17 की अनुपस्थिति में	ADJ No.1 हनुमानगढ़	---
19	क्र.सं. 1 से 4,12,14,15 व 17 की अनुपस्थिति में	CJM हनुमानगढ़	---
20	CJM हनुमानगढ़	ACJM हनुमानगढ़	---
21	ACJM हनुमानगढ़	CJM हनुमानगढ़	---
22	क्र.सं. 20 व 21 की अनुपस्थिति में	CJ & JM हनुमानगढ़	---
23	ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़	CJ & JM हनुमानगढ़	---
24	CJ & JM हनुमानगढ़	ACJ & JM हनुमानगढ़	---
25	ACJ & JM हनुमानगढ़	CJ & JM हनुमानगढ़	---
26	क्र.सं. 24 व 25 की अनुपस्थिति में	ACJM हनुमानगढ़	---
27	क्र.सं. 20,21,23,24 व 25 की अनुपस्थिति में	ACJM संगरिया	---
28	ACJM संगरिया	CJ & JM संगरिया	---
29	CJ & JM संगरिया	ACJM संगरिया	---
30	CJ & JM टिब्बी	CJ & JM संगरिया	
31	क्र.सं. 28,29 व 30 की अनुपस्थिति में	ACJM हनुमानगढ़	
32	क्र.सं. 20,21,23,24,25,28,29 व 30 की अनुपस्थिति में	ACJM पीलीबंगा	---
33	ACJM पीलीबंगा	CJ & JM पीलीबंगा	---
34	CJ & JM पीलीबंगा	ACJM पीलीबंगा	---
35	क्र.सं. 33 व 34 की अनुपस्थिति में	ACJM हनुमानगढ़	

36	क्र.सं. 20,21,23,24,25,28,29,30,33 व 34 की अनुपस्थिति में	ACJM रावतसर	---
37	ACJM रावतसर	CJ & JM रावतसर	---
38	CJ & JM रावतसर	ACJM रावतसर	---
39	क्र.सं. 37 व 38 की अनुपस्थिति में	ACJM नोहर	---
40	ACJM नोहर	CJ & JM नोहर	---
41	CJ & JM नोहर	ACJM नोहर	---
42	क्र.सं. 37,38, 40 व 41 की अनुपस्थिति में	ACJM भादरा	---
43	ACJM भादरा	CJ & JM भादरा	---
44	CJ & JM भादरा	ACJM भादरा	---
45	क्र.सं. 43 व 44 की अनुपस्थिति में	ACJM नोहर	---
46	क्र.सं. 40,41 व 43 की अनुपस्थिति में	CJ & JM भादरा	---
47	क्र.सं. 40,41 व 44 की अनुपस्थिति में	ACJM भादरा	---
48	क्र.सं. 40,41 व 43,44 की अनुपस्थिति में	ACJM रावतसर	---
49	क्र.सं. 41,43 व 44 की अनुपस्थिति में	ACJM नोहर	---
50	क्र.सं. 37,38,40,41,43 व 44 की अनुपस्थिति में	ACJM हनुमानगढ़	---

नोट :-

1. इस चार्ट में DJ/ADJ, CJM/ ACJM/ CJ & JM/ ACJ&JM से आशय निम्नानुसार प्रेषित प्रतिलिपि अनुसार है।
2. किसी भी मुख्यालय पर सभी न्यायिक अधिकारीगण के अनुपस्थित होने की स्थिति में रीडर स्वयं रूटीन आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। केवल रिमाण्ड अभिवृद्धि/स्थगन आदेश अथवा आवश्यक प्रकृति की पत्रावलियां ही लिंक अधिकारी के समक्ष पेश की जायेगी।
3. किसी भी मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारीगण/लिंक अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की स्थिति में उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों की रूटीन आदेशिकाओं में मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।
4. किसी भी मुख्यालय पर ACJM/CJ & JM अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उस मुख्यालय पर उपस्थित ADJ अधिकारी रूटीन पत्रावलियों की आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने व रिमाण्ड बढ़ाने का कार्य करेंगे तथा किसी मुख्यालय पर अथवा कैम्प कोर्ट मुख्यालय पर ADJ अधिकारी अनुपस्थित रहने पर रूटीन आदेशिकाओं व रिमाण्ड बढ़ाने का कार्य उस मुख्यालय पर उपस्थित ACJM/CJ & JM करेंगे तथा रूटीन कार्य करने वाले लिंक अधिकारीगण सम्बन्धित न्यायालय की पत्रावलियों में हायर कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मुचलके तस्दीक करेंगे तथा आवश्यक होने पर लेखा कार्य व समस्त प्रकार के बिलों पर हस्ताक्षर आदि का कार्य करेंगे।
5. सेशन प्रकरणों की पत्रावलियों में कनिष्ठ खण्ड के न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिवस से अधिक का रिमाण्ड नहीं देंगे।
6. यह व्यवस्था सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण की उनके मुख्यालयों पर अनुपस्थिति (अपरिहार्य कारणों से अथवा अन्यत्र कैम्प कोर्ट लगने पर) की अवस्था में प्रभावशील होगी।

(संजीव कुमार मागो)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था./2021/ 3049-53

दिनांक :- 14-7-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ़
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थानों व जिले में स्थित समस्त कारागृह को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, हनुमानगढ़ (Spl.Judge SC/ST)
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश(ADJ)/सं0-1,हनुमानगढ़/सं.2 हनुमानगढ़/संगरिया/सं.1 नोहर/सं.2 नोहर/ भादरा
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हनुमानगढ़
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (ACJM) हनुमानगढ़
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) संगरिया/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़(CJ&JM)/संगरिया/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा
9. अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJ & JM)हनुमानगढ़
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़
11. अध्यक्ष बारसंघ हनुमानगढ़/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा/संगरिया

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
हनुमानगढ़